भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2753
दिनांक 04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र

2753. कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लोगों के घरों के नजदीक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में स्थापित मौजूदा उप केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का रूपांतरण करके 1,50,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इससे कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र सहित अब तक स्थापित किए गए स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और ऐसे केंद्रों में समय पर परिचालन और सेवा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम- जेएवाई) के अंतर्गत 12-60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा का एक नया वर्ग शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन कै लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड) पीएम-जेएवाई के अंतर्गत गरीब और वंचित परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक परिचर्या के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(च) क्या जन आरोग्य समितियों (जेएएस) के माध्यम से स्वास्थ्य केन्द्रों के सामुदायिक स्वामित्व और प्रबंधन को संस्थागत बनाने के लिए कोई विशिष्ट रूपरेखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): फरवरी 2018 में, भारत सरकार ने दिसम्बर, 2022 तक देश भर में 1,50,000 आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) स्थापित किये जाने की घोषणा की थी। मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी) को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) प्रदान करने के लिए एबी-एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित किया गया है जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं जो सार्वभौमिक, निशुल्क और समुदाय के करीब हैं। दिनांक 24.07.2023 तक देश भर में कुल 1,60,480 एबी-एचडब्ल्यूसी का संचालन किया गया है। एबी-एचडब्ल्यूसी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

सरकार ने एबी-एचडब्ल्यूसी के परिचालन के लिए राज्यों की सहायता करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराए जाने के लिए परिकल्पित लक्ष्यों के अनुसार वास्तविक और वित्तीय अनुमोदन प्रदान किए गए हैं।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भर्ती और प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, गैर-संचारी रोगों की जांच और सेवाओं के विस्तारित पैकेजों, आवश्यक औषधियों और निदान की उपलब्धता सहित सेवा प्रावधान, आदि के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के मानक साझा किए गए है।

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक एनएचएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केंद्र द्वारा जारी राशि **अनुलग्नक -II** में दी गई है।

(ग) और (घ): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन स्कीम है जिसका उद्देश्य 12 करोड़ परिवारों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। इसके अलावा, एबी पीएम-जेएवाई को लागू करने वाले कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी लागत पर लगभग 15.5 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत लाभ दिया है।

यह ध्यान रखना उचित है कि एबी पीएम-जेएवाई के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है। इसलिए, एक परिवार के सभी सदस्य 15.5 करोड़ पात्र परिवारों के तहत अपनी पात्रता के अधीन एबी पीएम-जेएवाई के तहत स्वास्थ्य कवरेज के लिए पात्र हैं। एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत 12-60 वर्ष की आयु के लिए एक अलग स्कीम श्रेणी के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ): वित्त वर्ष 2023-24 में, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एबी पीएम-जेएवाई के कार्यान्वयन के लिए केंद्र द्वारा हिस्से के रूप में कुल 7200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। एबी पीएम-जेएवाई को लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र द्वारा हिस्सा वास्तविक उपयोग के आधार पर जारी किया जाता है, जो कि 60%/90%/100% के अधीन है (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आधार पर लागू अनुसार) जो वर्तमान में 1052 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष है। तदनुसार, कोई राज्य विशिष्ट आबंटन नहीं है।

(च): आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जन आरोग्य समितियां (जेएएस) उप-स्वास्थ्य केन्द्र (एसएचसी)/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्तर एबी-एचडब्ल्यूसी में एक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करती हैं ताकि स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में इसके प्रबंधन, अभिशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। निर्वाचित प्रतिनिधियों, सेवा प्रदाताओं, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और सेवा प्राप्तकर्ताओं वाली इन समितियों की सुविधा पर निगरानी होती है, जो समुदाय आधारित स्वास्थ्य संवर्धन में लगी होती हैं और समुदाय के लिए शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य करती हैं। सामुदायिकीकरण और सामाजिक जवाबदेही की प्रक्रिया सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों के विश्वास करने, सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने और एबी-एचडब्ल्यूसी के स्वामित्व को उत्प्रेरित करने में मदद करती है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 24.07.2023 तक एबी-एचडब्ल्यूसी की कुल संख्या

राज्य	एबी-एचडब्ल्यूसी की कुल संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	129
आंध्र प्रदेश	11855
अरुणाचल प्रदेश	428
असम	4421
बिहार	10268
चंडीगढ़	49
छत्तीसगढ़	5747
दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	93
गोवा	273
गुजरात	9569
हरियाणा	2584
हिमाचल प्रदेश	1691
जम्मू और कश्मीर	3013
झारखंड	2243
कर्नाटक	9800
केरल	5651
लद्दाख	321
लक्षद्वीप	13
मध्य प्रदेश	11325
महाराष्ट्र	10923
मणिपुर	406
मेघालय	451
मिजोरम	372
नगालैंड	383
ओडिशा	6548
पुद्दुचेरी	127
पंजाब	2989
राजस्थान	9824
सिक्किम	180
तमिलनाडु	8245
तेलंगाना	5150
त्रिपुरा	1097
उत्तर प्रदेश	21891
उत्तराखंड	2063
पश्चिम बंगाल	10358

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक एनएचएम के तहत केंद्र द्वारा जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राशि

(करोड़ रुपये में)

क्रम. सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18.05	34.92	36.91	43.68	45.26
2	आंध्र प्रदेश	1,081.29	1,111.07	1,097.81	1,199.37	1,489.45
3	अरुणाचल प्रदेश	216.92	185.95	243.04	188.53	233.82
4	असम	1,381.51	1,749.24	1,807.48	1,955.93	1,981.83
5	बिहार	1,409.78	1,510.68	1,814.63	1,748.76	1,586.57
6	चंडीगढ़	27.06	22.77	22.21	17.47	38.09
7	छत्तीसगढ़	875.10	816.07	979.41	969.61	1,195.08
8	दादरा और नगर हवेली	23.46	25.33	36.39	38.59	58.28
	दमन और दीव	11.76	16.79			
9	दिल्ली	154.23	138.74	125.73	127.37	35.15
10	गोवा	33.96	35.47	34.81	26.01	55.42
11	गुजरात	1,038.69	1,110.80	1,005.66	1,094.48	1,120.06
12	हरियाणा	538.83	567.71	531.50	577.07	681.21
13	हिमाचल प्रदेश	345.43	504.84	441.94	555.09	494.65
14	जम्मू और कश्मीर	556.46	702.20	667.46	459.10	651.52
15	झारखंड	616.23	830.63	602.80	640.18	810.30
16	कर्नाटक	1,254.82	1,173.77	1,232.19	1,274.71	1,246.67
17	केरल	887.90	836.14	788.22	771.47	1,036.76
18	लक्षद्वीप	6.58	6.16	7.11	8.41	9.97
19	मध्य प्रदेश	1,668.09	1,728.73	2,377.14	2,295.66	2,582.10
20	महाराष्ट्र	1,565.98	1,724.99	1,833.59	1,769.67	2,187.13
21	मणिपुर	147.09	185.65	189.49	95.59	61.40
22	मेघालय	145.06	141.17	202.63	282.46	261.56
23	मिजोरम	118.36	127.24	143.73	93.82	111.82
24	नगालैंड	132.11	123.23	188.21	126.66	91.38
25	ओडिशा	743.57	1,475.14	1,617.63	1,263.07	1,284.69
26	पुद्दुचेरी	38.16	31.56	25.55	21.33	20.73
27	पंजाब	570.51	712.02	568.14	349.21	448.89
28	राजस्थान	1,667.00	1,781.83	2,000.58	1,924.95	1,460.80
29	सिक्किम	45.22	53.55	70.13	51.86	73.30
30	तमिलनाडु	1,479.71	1,424.22	1,522.71	1,631.91	1,652.24

31	त्रिपुरा	186.52	239.47	225.91	217.95	231.90
32	उत्तर प्रदेश	3,886.70	4,749.05	3,772.95	3,235.46	5,133.59
33	उत्तराखंड	297.18	348.83	583.25	553.47	505.01
34	पश्चिम बंगाल	1,116.09	1,749.32	1,895.01	1,654.26	1,252.32
35	तेलंगाना	713.43	964.34	671.88	725.67	683.77
36	लद्दाख	-	-	91.89	44.79	94.95

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में दो उप मिशन अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शामिल हैं। व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 से पूल/कार्यक्रमों का विलय कर दिया गया है।

2. उपर्युक्त जारी राशि केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य के हिस्से का योगदान शामिल नहीं है।

3. जम्मू और कश्मीर राज्य (जेएंडके) के संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में पुनर्गठन के बाद, वर्ष 2020-21 के दौरान पहली बार लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को एनएचएम निधियां वितरित की गई थीं।

*****